

राष्ट्रपति (President)

- संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनी है.
- राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है और उसका पद सरकारी अधिकारियों में उच्चतम और सर्वाधिक सम्मानित है. यह परम्परा ब्रिटेन से ली गई है. जहाँ अभी भी राजा को राज्य का प्रमुख माना जाता है. परन्तु ब्रिटेन में राजा वंशानुगत होता है, जबकि भारत के राज्याध्यक्ष एवं सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है.
- संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा.
- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का विशेष महत्व है. इसके चार प्रमुख कारण हैं—प्रथम, राष्ट्रपति ऐसे समूह द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का समावेश होता है. इसमें राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं. द्वितीय, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वह संविधान की रक्षा के रूप में होती है. तीसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गयी है. चौथा देश के प्रति रक्षा बलों के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है.
- संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएँ निश्चित की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. वह भारत का नागरिक हो.
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
3. लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो. अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए.
4. भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किये हो.

अनुच्छेद 58(2) की व्याख्या के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है. किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उसे पद के अतिरिक्त अन्य पद को रिक्त करना होगा.

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता. यदि इन विधानमण्डलों का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो, तो जिस तिथि से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उस सदन में उसकी सदस्यता का अन्त हो जाएगा.

- 4 मार्च, 1974 को संसद ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सम्बन्धी (संशोधन) विधेयक पारित किया. इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा. उसे 2,500 रुपये की जमानत दाखिल करनी होगी. राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दस सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे और दस सदस्य ही अनुमोदन करेंगे. इसका उद्देश्य अवांछनीय प्रत्याशियों पर प्रतिबन्ध लगाना है.

- जून, 1997 में एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से गैर-गम्भीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रत्याशी की जमानत राशि तथा प्रत्याशी के प्रस्तावकों, अनुमोदकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है. अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जमानत देनी होगी तथा आवेदकों, अनुमोदकों की संख्या 50 कर दी गई है.
- संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है. वह अपने पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक बना रहेगा, जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले.
- यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के लिए रिक्त हो जाये, तो इस स्थिति में नये राष्ट्रपति का चुनाव पुनः पाँच वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिये होता है. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से किसी भी दशा में छः माह पूर्व भरा जाना चाहिए.
- कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर नये निर्वाचन के पूर्व होने तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा. अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा. मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य सँभालेगा.
उपर्युक्त में से कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक इस पद पर कार्य नहीं कर सकता. इस अवधि में वह व्यक्ति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग कर सकता है, अपवादस्वरूप क्षमा-दान को.
- राष्ट्रपति का पद अत्यधिक सम्मान तथा गौरव का है. उसे निःशुल्क सरकारी निवास (राष्ट्रपति भवन) के अतिरिक्त 50 हजार रुपया प्रति माह वेतन मिलता है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को वो सभी भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो समय-समय पर संसद द्वारा निश्चित किये जाएंगे. कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते कम नहीं किये जा सकते. अवकाश ग्रहण कर लेने पर भूतपूर्व राष्ट्रपति को 10 हजार रुपए मासिक पेन्शन, मुफ्त आवास और कुछ राशि सचिवालय सहायता के लिए मिलती है. साथ ही उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है.
- भारतीय संविधान के केन्द्र बिंदु होने की वजह से राष्ट्रपति को बहुत-सी व्यक्तिगत उन्मुक्तियाँ तथा सार्वजनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं.
- राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं. अपने पद के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सम्बन्ध में उसके किसी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता. उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न कारागार भेजा जा सकता.
- राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके विरुद्ध दण्ड-विधि के कोई प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती है. उसके विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन इस आदेश की लिखित सूचना दो माह पूर्व देनी होगी.
- संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनने का उल्लेख किया गया है.
- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं. यह व्यवस्था संसद के प्रणाली के अनुरूप है, जिसमें राज्याध्यक्ष नाममात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है.
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संसदीय निर्वाचक मंडल द्वारा करने की व्यवस्था है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं—
प्रथम, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा द्वितीय, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल में संघीय संसद के साथ-साथ राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित करके इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो तथा संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तव में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके.
- मई, 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधान सभाओं को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है. यदि किसी राज्य की विधान सभा भंग हो, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न होगा? संविधान में इस विषय में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन संविधान के ग्यारहवें संविधान संशोधन (1961) में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त था.
- राष्ट्रपति पद के लिए यह आवश्यक है कि उसका नामांकन पत्र कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाये.
- राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15000 रुपये की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी. यदि किसी